संख्या—548 / 9—आ—3—98—33 काम्प / 98

प्रेषक,
श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—3 लखनऊ : दिनांक : 7 मार्च, 1998

विषय : भवन निर्माण मानचित्र पर लिये जाने वाली अम्बार फीस की दरों का निर्धाकरध : स्पष्टीकरण।

उक्त शासनादेश संख्या 175 / 9—आ—3—98—33—कैम्प / 98, दिनॉक 5 फरवरी, 1998 के क्रम में यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि:—

(1). उक्त शासनादेश सभी मानचित्रों के सम्बन्ध में लागू होगा चाहे वह एक तल के भवन के लिए हो अथवा बहुखण्डी / बहुमंजिली भवन के लिए हो।

(2). उक्त शासनादेश उन मानचित्रों पर भी लागू होगा जो स्वीकृत उपरान्त अभी रिलीज नहीं किये गये हैं।

(3). उक्त शासनादेश में उल्लिखित रू 11.00 प्रति वर्ग मीटर की दर प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रपर लागू होगी, अर्थात यदि कोई अधिभोगी अपने भूखण्ड पर 100 वर्ग मीटर क्षेत्र आच्छादित करता है, तो उसे रू0 1100.00 अम्बार फीस देनी होगी।

यह आदेश उक्त शासनादेश की दिनॉक से लागू माने जायेंगे।

भवदीय,
अतुल कुमार
सचिव

संख्या— 548(1) / 9—आ—3—98—33, कम्प / 98 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश / गार्ड फाईल

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव